न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री ओमप्रकाष विष्नोई, आर.ए.एस.

2019-00336RAAJodhpur2019-177RTA225 Magaram Vs Bhomaram etc

मगाराम पुत्र श्री लुम्बाराम जाति– जाट निवासी– ग्राम मोटानिया नगर, तहसील ओसियां, जिला जोधपुर।

अपीलाण्ट ...

ब

ना

म

01. भोमाराम पुत्र श्री रूगाराम
02. अचलाराम पुत्र श्री वीरमाराम

रेस्पो.....

03. रुगनाथराम पुत्र श्री बगताराम
04. हुक्माराम पुत्र श्री बगताराम
05. भोजाराम पुत्र श्री चुतराराम
06. उगमाराम पुत्र श्री चुतराराम
07. हजारीराम पुत्र श्री लुम्बाराम
08. राजुराम पुत्र श्री जसाराम
09. खेमाराम पुत्र श्री जसाराम
10. अखाराम पुत्र श्री भीखाराम
11. किशनाराम पुत्र श्री भीखाराम
12. मुलाराम पुत्र श्री भीखाराम
13. चन्दुराम पुत्र श्री भीखाराम
14. मांगीलाल पुत्र श्री ईशराराम
15. चुनाराम पुत्र श्री भारूराम
16. भगाराम पुत्र श्री भारूराम
17. मोहनलाल पुत्र श्री बुधाराम
18. भुराराम पुत्र श्री बुधाराम
19. सोनी पत्नी श्री बुधाराम
20. कोजाराम पुत्र श्री सिमाराम उर्फ खियाराम
21. धन्नाराम पुत्र श्री सिमाराम उर्फ खियाराम
22. केशाराम पुत्र श्री सिमाराम उर्फ खियाराम
23. गंगाराम पुत्र श्री सिमाराम उर्फ खियाराम
24. देवाराम पुत्र श्री दलाराम
25. मांगीलाल पुत्र श्री चोलाराम
26. हड़माराम पुत्र श्री चोलाराम

27. वीरमाराम पुत्र श्री दलाराम
28. फुलाराम पुत्र श्री दलाराम
29. रूगाराम पुत्र श्री दलाराम
30. नेनाराम पुत्र श्री भारूराम
31. घमण्डाराम पुत्र श्री भारूराम
32. रेवन्तराम पुत्र श्री भारूराम
33. भीखाराम पुत्र श्री हरकाराम
34. खुमाराम पुत्र श्री हरकाराम
35. लुम्बाराम पुत्र श्री हरकाराम
36. चुनाराम पुत्र श्री हरकाराम
37. मोहनराम पुत्र श्री हरकाराम
38. सोहनराम पुत्र श्री हरकाराम
39. कालुराम पुत्र श्री हरकाराम
40. भंवरूराम पुत्र श्री जसाराम
41. रूपाराम पुत्र श्री जसाराम
42. ओमाराम पुत्र श्री जसाराम
43. दुर्गाराम पुत्र श्री जसाराम
44. सुखाराम पुत्र श्री जसाराम

    सभी जातियान जाट, निवासीगण ग्राम मोटानिया नगर, तहसील औसिया, जिला जोधपुर।
45. श्रीमान् तहसीलदार, औसियां, जिला जोधपुर।

परफोर्मा रेस्पो. ...

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काष्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ आदेष दिनांक 07 अगस्त 2019 सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, औसियां राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 395/2017 भोमाराम व अन्य बनाम रूगनाथराम इत्यादि

उपस्थित–

श्री रोषनलाल, अधिवक्ता–अपीलाण्ट

श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता–रेस्पो. संख्या 45

नि र्ण य

दिनांक : 16 अप्रैल 2025

अपीलाण्ट ने सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी औसियां द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 395/2017 भोमाराम व अन्य बनाम रूगनाथराम इत्यादि में पारित आदेष दिनांक 07 अगस्त 2019 के खिलाफ आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष

राजस्थान काष्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 के तहत दिनांक 13 नवंबर 2019 को प्रस्तुत की है।

अपीलांट्स द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी प्रस्तुत करने अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान किये जाने का निवेदन किया। अपीलांट द्वारा एक अन्य प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय परिसीमा अधिनियम प्रस्तुत कर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलंब को क्षमा किये जाने का निवेदन किया।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट संख्या एक व दो ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251–ए राजस्थान काष्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर अपने खसरा नम्बर 327/2, 363/2, 379/2, 385/2, 720/1, 1063/1, 1064/1, 1065/1, 1065/2 में बंटवाड़े में रास्ते हेतु हेतु छोड़ी गई भूमि को रास्ते के रूप में घोषित कर रास्ता खुलवाने का निवेदन किया, जिसमें अपीलांट को पक्षकार ही संयोजित नहीं किया गया। अधीनस्थ न्यायालय प्रार्थीगण/रेस्पो. का प्रार्थना पत्र दिनांक 07 अगस्त 2019 को स्वीकार कर लिया गया, जिसके विरूद्ध आलौच्यं अपील प्रस्तुत की गई।

बहस सुनी गई। अधिवक्ता–अपीलाण्ट्स ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी एवं गुणावगंण पर बहस अपनी में तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलार्थी खसरा नंबर 1066 का खातेदार काष्तकार है। विचारण न्यायालय में अपीलांट को पक्षकार ही नहीं बनाया तथा न ही उसे सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया। प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 द्वारा खसरा संख्या 1066 में से न ही रास्ते की मांग की गई है. इसके बावजूद भी अधिनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश पारित कर अपीलार्थी की भूमि में से रास्ते का आदेष पारित कर दिया। इस कारण अपीलार्थी व्यथित पक्षकार है तथा अपील प्रस्तुत करने का अधिकारी है। हस्तगत मामले में मौका रिपोर्ट पटवारी हल्का द्वारा तैयार करके भेजी गई है, जबकि रास्ते के नियमों के अनुसार तहसीलदार व भू–अभिलेख निरीक्षक पद से नीचे का अधिकारी रिपोर्ट तैयार नहीं कर सकता है। इस कारण भी आलौच्य आदेश अपास्त व निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मौका रिपोर्ट पक्षकारों की अनुपस्थिति में मंगवाई गई है, जिसमें किसी भी पक्षकार की सहमति नहीं ली गई है तथा न ही रिपोर्ट पर किसी तरह की कोई आपत्तियों की सुनवाई की गई है। प्रत्यर्थी संख्या 01 व 02 द्वारा जानबुझ कर अपीलार्थी व अन्य

पड़ोसी खसरान के खातेदारों को पक्षकार नहीं बनाया गया है, क्योकि उनके खेत में से रास्ता नजदीक पड़ता है. इसके बावजूद भी मात्र अपीलार्थी को हैरान व परेशान करने की नियत से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था जो प्रार्थना–पत्र खारिज किये जाने योग्य था।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय परिसीमा अधिनियम पर अपीलांट के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि विचारण न्यायालय द्वारा अपीलांट को पक्षकार संयोजित किये बिना तथा उसे सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना अपीलाधीन आदेष पारित किया गया है। इस कारण परिसीमा की विधि लागु नही होती हैं। हाल ही में प्रत्यर्थी द्वारा धमकी दी गई कि मौके पर रास्ता करवा लिया गया है, जिस पर अपीलार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में आलौच्य आदेश की नकल हेतु दिनांक 04.11.2019 को आवेदन किया, जो नकले तैयार होकर दिनांक 04.11.2019 को प्राप्त हुई, जिन्हें पढने व पढवाने पर प्रथम बार आलौच्य आदेश की जानकारी हुई। अपीलांट द्वारा अपील को प्रस्तुत करने में जानबूझ कर देरी नहीं की गई है, न ही किसी अनुचित लाभ हेतु देरी की गई है।

अंत में अपीलांट्स के अधिवक्ता ने निवेदन किया किं प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी स्वीकार फरमाया जावे एवं अपीलांट को अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जावे। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय परिसीमा अधिनियम स्वीकार फरमाया जावे एवं अपील अपीलांट अंदर म्याद शुमार की जाकर गुणावगुण पर स्वीकार फरमायी एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेष दिनांक 07 अगस्त 2019 को अपास्त फरमाया जावे।

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुरूप विधिसम्मत निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त गम्भीरतापूर्वक अध्ययन किया गया। सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी का निस्तारण किया जाना उचित समझते है। उपलब्ध अभिलेख मुताबिक अपीलांट खसरा नंबर 1066 का रेकर्डेड खातेदार है। विचारण न्यायालय में अपीलांट को पक्षकार संयोजित किये बिना तथा उसे सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना उसकी खातेदारी भूमि में से रास्ता प्रदान किया गया है। ऐसी स्थिति में अपीलांट अपीलाधीन आदेष से

पीड़ित पक्षकार होने से हस्तगत अपील प्रस्तुत करने का अधिकारी ठहरता है। लिहाजा न्याय हित में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी स्वीकार किया जाता है एवं अपीलांट को अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

जहां तक अपीलांट्स द्वारा अपील प्रस्तुति में हुए विलंब का प्रष्न है, अपीलांट विचारण न्यायालय में पक्षकार संयोजित न होने से उसे अपीलाधीन आदेष की समय पर जानकारी नहीं होना लाजमी है। लिहाजा मामले के गुणावगुण पर निस्तारण हेतु म्याद के बिंदु पर नरम रूख अपनाते हुए प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय परिसीमा अधिनियम स्वीकार किया जाता है एवं अपील अपीलांट्स अंदर म्याद शुमार की जाती है।

गुणावगुण पर विचारण न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि रेस्पोडेंट्स द्वारा अपीलांट्स की खातेदारी भूमि खसरा नंबर 1066 में किसी प्रकार के रास्ते की मांग नहीं किया जाना पाया जाता है। विचारण न्यायालय द्वारा रेस्पोडेंट संख्या एक व दो के अनुतोष के विपरीत मौका फर्द दिनांक 29.07.2019 के आधार पर अपीलांट की खातेदारी भूमि खसरा नंबर 1066 के बीच में से रास्ता प्रदान किया गया है, जिससे अपीलांट की खातेदारी भूमि दों असमान भागों में विभक्त हो चुकी है। ऐसी स्थिति अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेष विधि की मंषा के विपरीत पाये जाने से अदालत हाजा की राय में समर्थन योग्य नहीं ठहरता है।

उपरोक्त विवेचन एवं विष्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट आंषिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेष दिनांक 07 अगस्त 2019 को अपास्त किया जाता है एवं मामला अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देष के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह अपीलांट को मामले में पक्षकार संयोजित करते हुए उभय पक्ष की सुनवाई उपरांत रेस्पोडेंट संख्या एक व दो के आवागमन हेतु निकटतम रास्ते का आदेष पारित करे।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओमप्रकाश विष्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर